न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 668/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. कलबी समाज, बरलुट जरिये अध्यक्ष मूपाराम पुत्र श्री भगवान जाति कलबी, निवासी– बरलुट तहसील व जिला सिरोही 2. खुमाराम पुत्र श्री खंगारजी, जाति कलबी, निवासी बरलुट, तहसील व जिला सिरोही 3. सांकलाराम पुत्र श्री खीमाजी, जाति कलबी, निवासी बरलुट, तहसील व जिला सिरोही		1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, सिरोही।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जो अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के द्वारा राजस्व अपील संख्या 40/2022 अनवान कलबी समाज वगैराह बनाम सरकार वगैराह में दिनांक 10.01.2023 को पारित किया गया

उपस्थितिः–

1. श्री अशोक पटेल, विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12 नवम्बर, 2025

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि हल्का पटवारी, बरलुट ने एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 16.02.2022 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही के समक्ष प्रस्तुत की गई कि ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 रकबा 0.08 हेक्टर किस्म गैर मु. में पुराना पक्का निर्माण (पुराना पक्का निर्माण जिसमें 200 वर्गमीटर में 11 दुकानें, 180 वर्गमीटर में टीनशेड व गैरेज) राजकीय भूमि पर संवत 2078 में अवैध रूप से कब्जा कर, निर्माण कर अतिक्रमण किया है। हल्का पटवारी की इस रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार, सिरोही ने प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलान्ट को नोटिस जारी किये।

2. अपीलांट की ओर से दिनांक 14.09.2022 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत करते हुए किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अतिचार नहीं किये जाने और न ही कोई निर्माण कार्य

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कर दुकानें बनाई जाने बाबत उल्लेख किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही ने अपीलांट को ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 की उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना आरोपित करते हुए बेदखली का आदेश दिनांक 19.10.2022 पारित कर दिया गया। न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही के उक्त निर्णय दिनांक 19.10.2022 से व्यथित होकर प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के समक्ष दिनांक 11.11.2022 को प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के द्वारा प्रथम अपील पर दिनांक 10.01.2023 को निर्णय पारित कर प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दी गई। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.01.2023 को पेश की गई है।

3. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही का निर्णय दिनांक 10.01.2023 एवं नायब तहसीलदार, सिरोही का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2022 पूर्ण रूप से गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरीत, मनमाने एवं त्रुटिपूर्ण हैं। न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही ने अपने निर्णय दिनांक 19.10.2022 के द्वारा अपीलांट को ग्राम बरलुट के उक्त खसरा संख्या 933 की सरकारी भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करने व शास्ति से दण्डित करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.2023 के द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को खारिज करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है जो किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अपीलांट की ओर से नायब तहसीलदार, सिरोही के नोटिस का जवाब दिनांक 14.09.2022 को प्रस्तुत कर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ''अप्रार्थीगण को नोटिस गलत रूप से जारी किया गया है, अप्रार्थीगण के द्वारा संवत् 2078 में ग्राम बरलुट की किसी भी सरकारी भूमि पर एक इंच भी अतिक्रमण कर अतिचार नहीं किया है, न ही कोई निर्माण कार्य कर दुकानें बनाई गई हैं। कलबी समाज का उक्त भूमि पर पिछले 45–50 वर्षों से निर्विवाद पुश्तैनी भोगवटा कब्जा था, जिसमें कलबी समाज के द्वारा जनहितार्थ एक प्याऊ संचालित की जाती थी। तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत के द्वारा विधिसम्मत कानूनी प्रावधानों के तहत संस्था को उक्त भूमि का पट्टा संख्या 03 बुक नं. 60 मिसल सं. 27 दिनांक 22.10.2001 को दायर कर दिनांक 10.06.2002 को बाजार दर से राशि रूपये 97,150/– प्राप्त करते हुए साईज 1450 वर्गफुट

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

का आबादी भूमि का विक्रय–विलेख अप्रार्थी संस्था के नाम जारी किया गया है। उक्त जारी पट्टे में चतुर दिशाओं में ही अप्रार्थी संस्था का कब्जा है। आवंटित पट्टासुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति भी ग्राम पंचायत बरलुट से स्वीकृति जारी की गई थी। तत्पश्चात् अप्रार्थी संस्था के द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटाशुदा भूमि पर दुकान, टीनशेड व पक्का निर्माण किया गया है, न कि किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का बरलुट के द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी संस्था को अतिचारी बतलाया गया है, जबकि अप्रार्थी संस्था का खसरा संख्या 933 की आबादी भूमि में स्थित है, जिसके पुराने खसरा संख्या 767 थे, जो पूर्व में ही ग्राम पंचायत बरलुट को आवंटित हो रखी थी। अप्रार्थी संस्था का पुराना पक्का निर्माण खसरा संख्या 933 की सरकारी भूमि में होने की बात पटवारी हल्का के द्वारा गलत दर्शाई है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की मौका फर्द दिनांक 16.06.2022 भी अप्रार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जो गलत रूप से तैयार की गई है। इन तथ्यों व दस्तावेजों से यह बखूबी स्पष्ट हो रखा था कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व अतिचार नहीं है, बल्कि अपीलांट संस्था का अपनी पट्टाशुदा भूमि पर कब्जा है और निर्माण कार्य भी अपनी कब्जाशुदा भूमि पर करवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी नायब तहसीलदार ने अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व शास्ति से दण्डित करने का आदेश देने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। उक्त सभी तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालयो ने किसी तरह का कोई गौर नहीं किया गया है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त व मन्सुख किए जाने योग्य हैं।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि विधि एवं प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखे जाने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जावे, तदोपरान्त ही उसके विरूद्ध मुनासिब कानून सम्मत आदेश पारित किया जावे। सुनवाई का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है यानि Opportunity to hearing is a fundamental right. जबकि मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा इस महत्वपूर्ण सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करते हुए गलत आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिस भूमि के संबंध में अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया गया है, उस भूमि यानि खसरा संख्या 933 की भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण ही नहीं है, बल्कि अपीलांट तो अपनी पट्टासुद भूमि खसरा संख्या

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

933/1 पर काबिज है और अपनी पट्टासुद भूमि का उपयोग–उपभोग बहैसियत मालिक कर रही है। यह तथ्य होने के बावजूद भी मौजूदा प्रकरण में अपीलांट के खिलाफ कार्यवाही करने से यह बखूबी स्पष्ट है कि राजनीतिक दुर्भावना व राजनीतिक दबाव से अपीलांट के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की गई है और अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश निरस्त व मन्सुख किए जाने योग्य है।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि मौजूदा प्रकरण में नायब तहसीलदार के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व किसी तरह की कोई साक्ष्य कलमबद्ध नहीं की गई, न ही रिपोर्ट करने वाले पटवारी अथवा अन्य किसी अधिकारी के कोई बयान लिये गये और न ही किसी निष्पक्ष गवाह के बयान लिये गये। साथ ही इस बात की तस्दीक ही नहीं की गई कि वास्तव में अपीलान्ट ने अतिक्रमण किया है अथवा नहीं। इसके बावजूद भी विद्वान नायब तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। यह सभी तथ्य प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष लाए जाने के बावजूद भी उन्होंने इन पर गौर नहीं करके नायब तहसीलदार के निर्णय को यथावत रखने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन निर्णय अपास्त किए जाने योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2023 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.22 को निरस्त किया जाये।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रत्युतर में दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलाण्ट के द्वारा ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 किस्म गै.मु. रकबा 0.08 हैक्टेयर राजकीय बिलानाम भूमि पर कब्जा करते हुए अवैध निर्माण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार, सिरोही के द्वारा प्रकरण धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। अपीलाण्ट के द्वारा राजकीय भूमि के खसरा नंबर 933 रकबा 0.08 हैक्टैयर भूमि पर 200 मीटर में 11 दूकाने 180 वर्गमीटर पर टीन शेड व गेरिज का पक्का निर्माण किया गया है। उक्त भूमि की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.10.2022 के अनुसार कलबी समाज का कब्जा खसरा संख्या 933/1 किस्म आबादी में नहीं होकर ग्राम बरलुट, पटवार हल्का बरलुट के खसरा संख्या 933 किस्म गै.मु. रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि राजकीय बिलानाम भूमि पर है। अपीलाण्ट के द्वारा खसरा संख्या 933 किस्म गै.मु. राजकीय बिलानाम भूमि में कब्जा कर अनाधिकृत निर्माण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार एवं अति0 जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

करने के जो अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है एवं प्रथम अपील खारिज की गई है, वो विधि के अनुसार उचित होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाये।

9. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलाधीन आदेशों इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससें यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही के समक्ष पटवारी हल्का बरलुट ने रिपोर्ट दिनांक 16.02.2022 को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 रकबा 0.08 हेक्टर किस्म गै0मु0 में पुराना पक्का निर्माण (पुराना पक्का निर्माण जिसमें 200 वर्गमीटर में 11 दुकानें, 180 वर्गमीटर में टीनशेड व गैरेज) राजकीय भूमि पर संवत 2078 में अवैध रूप से कब्जा कर, निर्माण कर अतिक्रमण किया है। नायब तहसीलदार, सिरोही ने अपीलांट को ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 की उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना आरोपित करते हुए बेदखली का आदेश दिनांक 19.10.2022 पारित किया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के समक्ष दिनांक 11.11.2022 को प्रस्तुत की गई। उक्त प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.01.2023 के द्वारा अस्वीकार कर दी गई, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत करते हुए मुख्यतः यह कथन किया गया है कि अपीलान्टस् के द्वारा संवत् 2078 में ग्राम बरलुट की किसी भी सरकारी भूमि पर एक इंच भी अतिक्रमण कर अतिचार नहीं किया है, न ही कोई निर्माण कार्य कर दुकानें बनाई गई हैं। उक्त भूमि पर कलबी समाज का पिछले 45–50 वर्षों से निर्विवाद पुश्तैनी भोगवटा कब्जा था, जिसमें कलबी समाज के द्वारा जनहितार्थ एक प्याऊ संचालित की जाती थी एवं तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत के द्वारा विधिसम्मत कानूनी प्रावधानों के तहत संस्था को उक्त भूमि का पट्टा संख्या 03 बुक नं. 60 मिसल सं. 27 दिनांक 22.10.2001 को दायर कर दिनांक 10.06.2002 को बाजार दर से राशि रूपये 97,150/– प्राप्त करते हुए साईज 1450 वर्गफुट का आबादी भूमि का विक्रय–विलेख भी अपीलान्ट संस्था के नाम जारी किया गया है। उक्त जारी पट्टे में चतुर दिशाओं में संस्था का कब्जा है। आवंटित पट्टासुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति भी ग्राम पंचायत बरलुट से स्वीकृति जारी की गई थी। तत्पश्चात् अप्रार्थी संस्था के द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटाशुदा भूमि पर दुकान, टीनशेड व पक्का निर्माण किया गया है, न कि किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का बरलुट के द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपीलान्ट को अतिचारी बता दिया है जबकि अपीलान्ट की उक्त भूमि खसरा संख्या 933 आबादी भूमि में

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

स्थित है, जिसके पुराने खसरा संख्या 767 थे, जो पूर्व में ही ग्राम पंचायत बरलुट को आवंटित हो रखी थी। अपीलान्ट संस्था का पुराना पक्का निर्माण खसरा संख्या 933 की सरकारी भूमि में होने की बात पटवारी हल्का के द्वारा गलत दर्शाई है।

10. इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील को इस आधार पर खारिज किया गया है कि ''ग्राम पंचायत को पुराने ख0सं0 767 मी की भूमि को आबादी विस्तार हेतु आवंटित कर वर्ष 1981 में ही सुपुर्द कर दी थी, जिस पर पुराने ख0सं0 767 मी. के नये खसरा नम्बर मौका स्थिति एवं राजस्व नक्शा अनुसार 933 है, जिसे बिना किसी आधार व बिना किसी तरमीम के ख0सं0 767 मी के नया ख0सं0 933 के स्थान पर ख0सं0 933/1 बताकर उक्त खसरा संख्या 933 को बिलानाम राजस्व भूमि बताकर जमाबन्दी में गलत इन्द्राज किया है जिसके सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के न्यायालय में धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत बरलूट के द्वारा जमाबन्दी अनुसार नक्शे में भूमि/रकबा तरमीम करवाये जाने के लिये व राजस्व नक्शा शुद्धिकरण करवाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। अतः अपीलान्टस् की अपील को खारिज किया जाता है।''

11. प्रथम अपीलीय अधिकारी को चाहिये था कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत हुए धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के द्वारा दिये जाने वाले निर्णय के अनुसार प्रथम अपील को निस्तारित करते ताकि प्रश्नगत भूमि की सही जानकारी सामने आ जाती। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के पंचायत निगरानी संख्या 34/2002 अनवान शैतानसिंह पुत्र झालमसिंह बनाम अध्यक्ष, स्थापना स्थाई समिति, पं0स0 सिरोही वगैराह में पारित निर्णय 18.12.2002 की प्रतिलिपि संलग्न हो रखी है जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अपीलान्ट संस्था कलबी समाज के पक्ष में किये गये विक्रय की प्रकिया को सही माना है लेकिन इस निर्णय में किसी खसरा नम्बर का अंकन नहीं है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह फैसला प्रश्नगत भूमि पर जारी किये गये पट्टे के संदर्भ में ही है अथवा अन्य भूमि के सम्बन्ध में। अतः इस विषय में भी जॉच होना आवश्यक है कि क्या पंचायत निगरानी वाला निर्णय दिनांक 18.12.2002 भी प्रश्नगत एवं समान भूमि के विषय में ही है।

12. इसके अलावा प्रश्नगत भूमि का पट्टा विलेख अपीलान्टस् संस्था के नाम से जारी हो जाने के समय ग्राम पंचायत को आवंटित की गई भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में क्या रही थी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तथा भूमि की राजस्व नक्शे एवं जमाबन्दी में तत्समय में तरमीम की गई थी अथवा नहीं की गई थी, तरमीम करवाई गई थी तो पटटा विलेख में दर्शित भूमि के अनुसार गलत तरमीम कैसे हो गई, इसकी भी जॉच होना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण सम्बन्धी धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत वर्ष 2022 में सम्पादित की गई है, जबकि भूमि का पटटा विलेख वर्ष 2002 में जारी हुआ था, इससे पूर्व उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने की जानकारी पटवारी हल्का को क्यों नहीं हुई तथा 2022 में अपीलान्टस् को अतिक्रमी कैसे मान लिया गया, यह पत्रावली पर नहीं आया है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनता से मनन करने एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्टस् की अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा– निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाकर उपरोक्त आब्जर्वेशन्स उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण को ध्यान में रखकर, प्रश्नगत भूमि के ग्राम पंचायत रेकर्ड, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को रेकर्ड पर लिया जाकर, पंचायत निगरानी संख्या 34/2002 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2002 में दिये गये निष्कर्श का परीक्षण कर, प्रश्नगत भूमि की उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार करवाई जाकर, उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्टस् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त आब्जर्वेशन्स को मध्यनजर रखते हुए, उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण को ध्यान में रखकर, प्रश्नगत भूमि के ग्राम पंचायत रेकर्ड, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को रेकर्ड पर लिया जाकर, पंचायत निगरानी संख्या 34/2002 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2002 में दिये गये निष्कर्ष का परीक्षण कर, प्रश्नगत भूमि की उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार करवाई जाकर, उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 12 नवम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर